लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
014/2023 (GCMS 2023/39)	02.02.2023	21.02.2023

अनवान

मुकेश पिता दिनेश चन्द्र कुमावत निवासी चारभुजा मंदिर के पास किला, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

रेस्पोर्डेट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ से सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत किया गया। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./014/2023(सू.अ.)(21.02.2023)/107 दिनांक 02.02.2023 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 21.02.2023 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 21.02.2023 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने दिनांक 21.02.2023 को स्वयं उपस्थित होकर मौखिक रूप से अपना पक्ष रखा कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा आदिनांक तक उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई है अतः चाही गई सूचनाऐं उपलब्ध कराने का आदेश प्रदान करावें। लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन),

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चित्तौड़गढ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/20 दिनांक 14.02.2023 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः–

1. यह कि प्रार्थी श्री मुकेश कुमार कुमावत पिता दिनेश चन्द्र कुमावत निवासी चारभुजा मंदिर के पास, किला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.11.2022 को प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से वांछित सूचना के संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/438 दिनांक 28.11.2022 से उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तथा पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/438 (332) दिनांक 21.12.2022 से तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को लिखा गया हैं, जिन पर उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/लोसूअ/विविध/2022/329 दिनांक 12.12.2022 एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/आर.टी.आई./2023/07 दिनांक 02.02.2023 से यह अवगत कराया गया है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज उनके कार्यालय में संधारित नहीं हैं।
3. यह कि उक्त प्रार्थी प्रार्थना–पत्र के संबंध में प्रभारी अधिकारी, विकास अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/438 (332) दिनांक 13.02.2023 से कार्यालय में उपलब्ध सूचना विधिवत् तैयार करवाकर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया हैं।
4. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्राप्त होने पर यथाशीघ्र प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी।
5. अतः अपील पर जवाब स्वीकार कर अपील निरस्त करने की कृपा करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/20 दिनांक 14.02.2023 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना हेतु अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ एवं तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को सूचित किया गया। जिस पर उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रार्थी द्वारा वांछित सूचना उनके कार्यालय में संधारित नहीं हैं। इस पर लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रभारी अधिकारी, विकास अनुभाग, जिला कार्यालय, चित्तौड़गढ़ को पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2023/438 (332) दिनांक 13.02.2023 से अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। साथ ही लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित कमेण्ट्स में यह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निवेदन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना विकास अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हो जाने पर अपीलार्थी को यथाशीघ्र उपलब्ध दी जावेगी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित उक्त जवाब/कमेण्ट्स से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उसे आदिनांक तक प्राप्त नहीं हुई हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में वर्णित तथ्य कि उसे निर्धारित समयावधि में वांछित सूचना संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त नहीं हुई है, उचित प्रतीत होता हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना संबंधित कार्यालय (विकास अनुभाग, जिला कार्यालय चित्तौड़गढ़) से 15 दिवस में प्राप्त कर अपीलार्थी को निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **21.02.2023** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-sd-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)